न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 22/2021

अनूपकौर पत्नि साधु सिंह जाति सिख निवासी ग्राम कैथवाडा तहसील पहाडी

वादनी

बनाम

राज0 सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब, पहाडी जिला भरतपुर

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री सतीश बुन्देला वकील वादनी

दिनांक :– 22/07/2021

निर्णय

वादनी द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 15, 88,89, आर0टी0एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर हाल 2839/0.16 जिसका साविक खसरा नम्बर 2099/0.16 बांके ग्राम कैथवाडा द्वितीय तहसील पहाडी में स्थित है। आराजी मुत0 वादनी का अपने पूवर्जो के समय से ही एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व से ही बतौर खातेदार काश्तकार के रूप में शान्तिपूर्वक लगातार करीब 80 वर्ष से कब्जा काश्त है। जिसमें वादनी के ससुर धर्मसिंह पुत्र जीवन सिंह का राजस्व रिकॉर्ड में सम्वत 2009 से 2030 तक गैर खातेदार के रूप में कब्जा काश्त था। परन्तु वादनी के पति साधु सिंह का देहान्त ससुर के जीवन काल में ही हो गया जिसकी वजह से वादनी के ससुर के मरने के बाद अन्य सम्पूर्ण आराजीयात की सीधे ही गैरखातेदारी से खातेदारी संवत 2030 से 2041 के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में विरासत का इन्तकाल 2071 से कर दिया लेकिन राजस्व कर्मचारियों/अधिकारियों के लापरवाही के चलते वादनी के साविक खसरा नम्बर 2099/0.16 की खातेदारी दर्ज नहीं की गई। जिसकी जानकारी नकल मिलने पर हुई। जबकि वादनी का उक्त आराजी पर लगातार बतौर खातेदार के रूप में मौके पर कब्जा काश्त है। गैरखातेदारी के इन्द्राज की बजह से वादनी को राज/केन्द्र सरकार की योजनाओं के मिलने वाले लाभ से वंचित है। इसलिए

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

वादनी राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे अपने नाम गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन कराकर अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने की अधिकारी है। वादनी ने दावा पेश करने से पूर्व न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) जा0दी0 प्रस्तुत कर सरकार के विरूद्ध दावा पेश करने की अनुमति ले ली है। वादनी विवादित आराजी पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज है इसलिए राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम गैरखातेदार के रूप में दर्ज होता चला आ रहा है। उसे कलमजन किया जाकर वादनी को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें।

दावा वादनी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी ने उपस्थित न्यायालय होकर दिनांक 07/04/.2021 को वादनी के दावा को स्वीकार करते हुये जबाब पेश किया है कि विवादित आराजी मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड के वादनी के ससुर धर्मसिंह का राजस्व रिकॉर्ड में सम्वत 2009 से 2030 तक गैरखातेदार के रूप में कब्जा काश्त था वादनी के पति साधु सिंह का देहान्त वादनी के ससुर धर्मसिंह के जीवनकाल में ही हो गया। जिसकी वजह से धर्मसिंह की मरने के बाद विरासत के आधार पर वादनी का नाम संवत 2038 से 2041 के मध्य इन्तकाल न0 271 दर्ज कर लिया तथा आज भी लगातार वादनी का ही आराजी पर कब्जा काश्त बतौर गैरखातेदार के रूप में चला आ रहा है। अतः वादनी को आराजी खसरा नम्बर हाल 2839/0.16 जिसका साविक खसरा नम्बर 2099/0.16 बांके ग्राम कैथवाडा द्वितीय की बाबत गैरखातेदारी से खातेदारी दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। आराजी मुत0 पर वादनी का कब्जा काश्त है। वादनी द्वारा बोई गयी फसल मौके पर खडी है तथा कोई निर्माण कार्य नहीं है। उक्त आराजी धारा 16 के अन्तर्गत नहीं आती है। अतः जबाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादनी को खातेदारी दिया जाना न्यायोचित होगा।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई ।

<u>तनकी संख्या 1 :–</u> आया वादनी के अपने पूर्वजों के जमाने से करीब 80 वर्षो से आराजी मुत0 पर आज तक लगातार कब्जा काश्त हैं ।

.....वादनी

<u>तनकी संख्या 2 :–</u> आया वादनी के ससुर धर्मसिंह सम्वत 2009 से 2030 तक राजस्व रिकॉर्ड में गैरखातेदार के रूप में तथा उसके मरने के बाद से ही वादनी गैरखातेदार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड के काश्तकार काबिज है।

.....वादनी

<u>3:– दादरसी :–</u>

वादनी ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0 1 अनूपकौर , पी0डब्लू02 टेकचन्द, पी0डब्लू0 3 हसनमौहम्मद, पी0डब्लू0 4 हाकम,

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

के शपथ पत्र पेश किये। दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबन्दी सम्वत 2024 लगायत 2027, 2030 लगायत 2033, 2038 लगायत 2041, 2043, 2047 लगायत 2050, 2051 लगायत 2054,2067 लगायत 2068, 2075 लगायत 2078, नकल खसरा सम्वत 2009 लगायत 2012, 2013 लगायत 2016, 2021 लगायत 2024, 2027 लगायत 2030, 2035 लगायत 2038, 2039 लगायत 2042, 2043 लगायत 2046, 2047 लगायत 2050, 2055 लगायत 2058, 2063 लगायत 2066, 2067 लगायत 2070, 2076 से 2079, बांके ग्राम कैथवाडा द्वितीय एवं कार्यालय जिला कलक्टर भरतपुर प्रतिलिपी फार्म नं0 219 सबूत सम्वत 2010 लगायत 2024 तक रिकॉर्ड रूम भरतपुर में नहीं होने का पेश किये।

बहस वकील वादनी सुनी गई। बहस में वकील वादनी ने अपने दावे में दर्ज तथ्यों को दोहराया ।

हमने वकील वादनी की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है।

<u>तनकी संख्या :– 1</u> उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादनी पर हैं। विवादित आराजी बांके ग्राम कैथवाडा द्वितीय तहसील पहाडी में स्थित है। पत्रावली में संलग्न रिकॉर्ड अनुसार आराजी पूर्व में वादनी के बुजुर्गान की कब्जे काश्त की आराजी रही है। उसके उपरान्त वादनी उक्त आराजी पर गैरखातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार पहाडी के जबाब के मुताबिक आराजी वादनी के बुजुर्गान की मौरोसी/गैरखातेदारी की आराजी थी। ऐसी स्थिति उक्त तनकी वाहक वादनी निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या :– 2</u> उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादनी पर हैं। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाब तहसीलदार के मुताबिक वादनी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व ही आराजी पर काबिज काश्त है और आज भी विवादित आराजी पर वादनी का ही कब्जा है। दावे के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आर0आर0टी0 2007 (1) पेज संख्या 599 पेश की है। इसमें राजस्थान काश्तकार अधिनियम 2015 धारा 15 ए 230 खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना। यदि किसी मामले में व्यक्ति का नाम अधिनियम के लागू होने के समय जमाबन्दी के खातेदार उपखातेदार या मौरोसी खातेदार के रूप दर्ज है तो वह धारा 15 ए (3) के अन्तर्गत स्वतः खातेदार अधिकार प्राप्त कर लेगा अतः वादनी आराजी पर गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज करा पाने के कानूनन अधिकारी है। अतः यह तनकी भी वाहक वादनी निर्णित की जाती है।

3. दादरसी :– तनकी संख्या 1 व 2 वादनी के पक्ष में निर्णित हो गई है ऐसी स्थिति में दावा वादनी डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

उक्त विवेचन के आधार पर दावा वादनी डिक्री किया जाकर वादनी को आराजी खसरा नम्बर हाल 2839/0.16 जिसका साविक खसरा नम्बर 2099/0.16 बांके ग्राम कैथवाडा द्वितीय तहसील पहाडी पर गैरखातेदार के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22/07/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर).

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई
(ओ0 20 रू0 6–7 जाप्ता दीवानी)
[Civil Procedure Code Appendix D-I]

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पहाडी भरतपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 22/2021
अनूपकौर पत्नि साधु सिंह जाति सिख निवासी ग्राम कैथवाडा तहसील पहाडी

वादनी

बनाम

राज0 सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब, पहाडी जिला भरतपुर

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूवरू मुझ संजय गोयल आर0ए0एस0 .....व हाजिरी वकील वादनी मिनजानिव वकील प्रति0 X X X मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि अतः आज्ञा है कि दावा वादनी डिक्री किया जाकर वादनी को आराजी खसरा नम्बर हाल 2839/0.16 जिसका साविक खसरा नम्बर 2099/0.16 बांके ग्राम कैथवाडा द्वितीय तहसील पहाडी पर गैरखातेदार के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है।

आज ..... X ..... मुबलिग ..... X .....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर ..... X ..... को सर्दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी ..... X .....तक अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.07. सन् 2021 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत .....
ओहदा उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

मुद्दई		रूपया	पैसा	मुद्दालय		रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	.....	2.00		स्टाम्प अरजीदावा	.....		
स्टाम्प वकालतनामा	.....	1.00		स्टाम्प वकालतनामा	.....		
स्टाम्प वजह सबूत	.....	1.00		स्टाम्प वजह सबूत	.....		
महनताना वकील)पर	.....			महनताना वकील)पर	.....		
खर्चा गवाहान	.....			खर्चा गवाहान	.....		
फीस कमिश्नर	.....			फीस कमिश्नर	.....		
बबत इजराय हुक्मनामा	.....			बबत इजराय हुक्मनामा	.....		
मुतफर्रिक	.....			मुतफर्रिक	...		
मीजान	.....	4.00		मीजान	.....		

Scanned with OKEN Scanner